

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 14 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू

— प्रार्थी

बनाम

रणजीत उर्फ भवानी पुत्र श्री मोहन लाल, जाति सकलीगर, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 05
सिघाना, थाना सिघाना, जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. लोक अभियोजक सरकार की ओर से।

—: निर्णय :-

दिनांक : 12.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैर सायल रणजीत उर्फ भवानी पुत्र श्री मोहन लाल, जाति सकलीगर, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 05 सिघाना, थाना सिघाना, जिला झुंझुनू एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है यह कस्बा सिघाना में बदमाश व्यक्तियों का गुट बनाकर गैमलिंग का काम करता है तथा अनावश्यक ही आपराधिक गतिविधियों से कस्बा सिघाना में पुरानी सब्जी मण्डी, सरकारी अस्पताल के पास मोहल्ला के आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित करके रखता है। लेकिन इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना देता है तथा ना ही इसके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने के लिये तैयार है तथा समाज में इसका भय है। गैर सायल उपरोक्त के विरुद्ध जुआ खेलने के संबंध में 02 अभियोग

Page 1 of 4

18
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू



दर्ज है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति में गैर सायल की गतिविधियों को लगाम रखने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा किये गये अपराधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	नाम थाना	धारा	चार्जशीट नम्बर मय दिनांक	नतीजा न्यायालय
1.	114 / 18	21.05.18	सिघाना	13 आरपीजीओ	65 / 18 दिनांक 25.05.2018	दिनांक 09.07.18 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना द्वारा 100 रुपये जुर्माना
2	191 / 18	09.09.18	सिघाना	13 आरपीजीओ	140 / 18 दिनांक 17.9.2018	दिनांक 27.04.19 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना द्वारा 200 रुपये जुर्माना

इस प्रकार रणजीत उर्फ भवानी पुत्र श्री मोहन लाल, जाति सकलीगर, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 05 सिघाना, थाना सिघाना, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03. 11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वैच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सिघाना जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्ध हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे पुलिस थाना सिघाना जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावे।

१५
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी-1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल रणजीत उर्फ भवानी के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत कुल 02 प्रकरण दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्ध हुआ है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न हैं। गैर सायल रणजीत उर्फ भवानी द्वारा 02 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति तथा युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान-माल को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल रणजीत उर्फ भवानी को सिंघाना थाना क्षेत्र से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैर सायल इस प्रकार रणजीत उर्फ भवानी पुत्र श्री मोहन लाल, जाति सकलीगर, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 05 सिंघाना, थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत 10 दिवस की अवधि के लिए पुलिस थाना सिंघाना की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना, मण्डेला जिला झुंझुनू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा उक्त 10 दिवस की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, सिंघाना, जिला झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1

माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

45
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



46
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू(राज.)